**[1]प्ररूप सं. 64क**

[नियम 12गक (2)(*i*) देखिए]

**आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115पक के अधीन कारबार न्यास द्वारा दिया जाने वाला वितरित आय का विवरण**

| | |
|---|---|
| 1. कारबार न्यास का नाम | |
| 2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता | |
| 3. [2][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] | |
| 4. समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष | |
| 5. कारबार न्यास के न्यासियों का नाम और पता | |
| 6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) में कारबार न्यास के रजिस्ट्रीकरण की तारीख | |
| (*i*) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भूसंपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन | |
| (*ii*) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन | |
| 7. क्या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी समय कारबार न्यास की यूनिटें किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थीं हां/नहीं | |
| [3][8. *सभी स्त्रोतों से कारबार न्यास की सकल आय (9+11+13+15)* | |
| *9. धारा 10(23चग) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय* | |
| *10. 9 से 8 का समानुपात* | |
| *11. धारा 10(23चगक) में निर्दिष्ट भाड़े या पट्टे या किराए पर देने के रूप में आय* | |
| *12. 11 से 8 का समानुपात* | |
| *13. धारा 115-ण में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय* | |
| *14. 13 से 8 का समानुपात* | |
| *15. 9, 11 और 13 में निर्दिष्ट से अन्यथा आय* | |
| *16. 15 से 8 का समानुपात* | |

---

1. आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2015 द्वारा 19.1.2015 से अंतःस्थापित।
2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. आय-कर (बाईसवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.4.2016 से प्रतिस्थापित।

*17. धारा 115पक की उपधारा में निर्दिष्ट यूनिटधारक होते हुए व्यक्तियों, जिनको आय वितरित की जाती है, के निम्नलिखित प्रपत्र में ब्यौरे दें:-*

| *क्रम सं.* | *नाम* | *पता* | 4[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] | *कुल वितरित रकम* | *धारा 10(23चग) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय की रकम [स्तंभ 5 × क्रम संख्या 10]* | *धारा 10(23चगक) में निर्दिष्ट भाड़े या पट्टे या किराए के रूप में आय की रकम [स्तंभ 5 × क्रम संख्या 12]* | *धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय की रकम [स्तंभ 5 × क्रम संख्या14]* | *अन्य आय की रकम [स्तंभ 5 × क्रम संख्या 16]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

]

*भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।*

*रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख की एक प्रति संलग्न करें।*

*संपरीक्षित लेखाओं को, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हों, भी हैं, आय के वितरण के आय और विनियोग की प्रमाणित प्रतियों के साथ संलग्न करें।*

मैं......................... (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) जो ...................... का पुत्र/पुत्री/पत्नी हूं एतद्‌द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि जो कुछ ऊपर और उपबंध (उपबंधों) में जिसके अंतर्गत उपबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूं/करती हूं कि में यह विवरण ................. (पदनाम) की हैसियत में दे रहा/रही हूं और मैं यह विवरण देने तथा सत्यापित करने के लिएसक्षम हूं।

आज तारीख .................. को सत्यापित किया गया ।

स्थान .............................

हस्ताक्षर ...........................

---

4. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**सत्यापन**

मैंने/हमने* ...................... (कारबार न्यास का नाम) द्वारा ............. को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष में उपार्जित आय और यूनिट-धारकों को वितरित आय की विशिष्टियां दर्शाने वाली लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है।

2. मैं यह घोषणा करता हूं/हम यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं।

स्थान ...............................

तारीख ...............................

...................................................

(लेखापाल के हस्ताक्षर और नाम)

**टिप्पणः**

1. "लेखापाल" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के *स्पष्टीकरण* में यथापरिभाषित लेखापाल अभिप्रेत है।
2. *जो लागू न हो उसे काट दें।